II/पुर्नस्थापना/रीवा/2018/02214

(45)

कोर्ट फी 20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित/विलोपित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

कोर्ट फी 2रु. Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES (x5) विलोपित/विलोपित

मकसूदन प्रसाद पिता रामधनी साकेत (पागल) निवासी शंकरपुर तहसील त्यौथर,जिला रीवा म0प्र0सरपरस्तबली मीना पत्नी मकसूदन प्रसाद निवासी शंकरपुर तहसील त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 ....आवेदक

आधि0 श्री प्रवेशमिश्रा
द्वारा पेश/05-4-18

बनाम

पन्ना लाल पिता बिश्वनाथ साकेत निवासी शंकरपुर तहसील त्यौथर,जिला रीवा म0प्र0सरपरस्तबली मीना पत्नी मकसूदन प्रसाद निवासी शंकरपुर तहसील त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 ....अनावेदक

निगरानी प्रकरण क्रमांक आर. /2422-3-2014 मकसूदन प्रसाद बनाम पन्ना लाल साकेत अदम पैरवी मे निरस्तगी दिनांक 15.3.2018 .

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नि.9सि.प्र.सं.

सहपठित धारा 35(3) म.प्र.भू.रा.सं. .

महोदय,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैः-

1. यह कि उक्त उन्मानित निगरानी प्रकरण वास्ते दायरा तर्क हेतु नियत था,जिस पर दिनांक 1.9.16 को माननीय न्यायालय के समक्ष दायरा तर्क हेआ जिसके उपरांत उक्त निगरानी प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया गया तथा उक्त प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

(96)

II / पुर्नस्थापन / रीवा / भू0रा0 / 2018 / 02214

मकसूद प्रसाद विरूद्ध पन्नालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–6–2018	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक ने पुर्नस्थापन आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया है जिससे प्रकरण को पुर्नस्थापित किया जा सके। फलस्वरूप यह पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरणदाखिल रिकार्ड हो। 20/6/18 (आर0 के मिश्रा) सदस्य	